राजस्व अपील संख्या 218/2023

अनवान

रिडमलराम बनाम राज्य

दिनांक 19-06-2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू, जिला बाडमेर के द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2023/590 अनवान सरकार बनाम पुराना गांव में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रतिवेदित किया है कि डामर सडक मौके पर खसरा संख्या 783, 1069/783, 1070/783, 1071/783, 1075/783 में से गुजरती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के एकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण सडक का रकबा अपीलार्थी के ख0सं0 783 में से कम किया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अपील में वर्णित भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार मौका जॉच कर मौका फर्द व मौका नक्शा तैयार करें, तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट व सुनवाई उपरान्त उपखण्ड अधिकारी बायतू, संशोधित आदेश पारित करें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर